रजिस्टर हो। अभिभाषक अपीलाट को स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ 04.05.2023 को पेश हो।

04.05.2023 पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अपीलांट ने उक्त अपील न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.04.2023 के विरुद्ध प्रस्तुत की है। अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। विचारण न्यायालय ने धारा 212 आरटीए के तहत दिनांक 10.01.2023 को चक 10 एसटीबी की 12.400 है. भूमि में अपीलांट जगदीश व रेस्पों संख्या रामकुमार एवं उनके पिता रेस्पों संख्या 15 रजीराम के हिस्सा की भूमि को रहन व विक्रय न करने एवं मौका की यथास्थिति बनाए रखने का स्थगन आदेश जारी किया है। अपीलांट व रेस्पो रजीराम ने विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर अपने धारण की भूमि चक 10 एसटीबी पत्थर नं. 38/350 मु. न. 24 किला न. 23 की 0.114 है. भूमि में नलकूप व उस पर विद्युत कनेक्सन लेने हेतु स्थगन दिनांक 10.01.2023 में छूट प्रदान करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.04.2023 के द्वारा अपीलांट व उसके पिता रेस्पो. रजीराम का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि मूल प्रार्थना पत्र पक्षकारों के तलबी हेतु लंबित है। प्रार्थना पत्र पर सभी पक्षकारों को सुनकर साक्ष्य व गुणावगुण के आधार पर निर्णय करना उचित है।

विचारण न्यायालय में मुख्य विवाद अपीलांट जगदीश रेस्पो.

Scanned with OKEN Scanner

रामकुमार व उनके पिता रेस्पो. रजीराम के मध्य है। अन्य पक्षकारों को बतौर सहकाश्तकार वाद में पक्षकार बनाया गया है। वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में अन्य सहकाश्तकारों के विरूध कोई अनुतोष नहीं है। इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारों की तलबी के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज करने का आधार उचित नहीं माना जा सकता। रेस्पो. सं. 01 रामकुमार ने अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में अपने धारण की अन्य भूमि के साथ–साथ चक 10 एसटीबी के पत्थर न. 38/350 मु. न. 24 किला न. 23 में 0.114 है. भूमि होनी बताई है। उक्त किला न. 23 में कुल 0.228 है. भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इससे यह तथ्य साबित है कि किला न. 23 की शेष 0.114 है. भूमि अपीलांट व उसके पिता रजीराम के कब्जा काश्त में है। अपीलांट ने विचारण न्यायालय में अपने कब्जा काश्त की भूमि में नलकूप व विद्युत कनेक्शन की हद तक अस्थाई निषेधाज्ञा में छूट चाही है। विचारण न्यायालय ने यह कोई विवेचन नहीं किया है कि अपीलांट द्वारा अपने कब्जा की भूमि में नलकूप लगाने व विद्युत कनेक्शन लेने से रेस्पो. को क्या अपूर्णीय क्षति हो रही है। नलकूप व विद्युत कनेक्शन स्थापित करना एक सुधारात्मक कार्य है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत डीएनजे 2015 पृष्ट 44 व आरआरटी 2021 पृष्ट 1277 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया है कि नलकूप व विद्युत कनेक्शन लेने से दूसरे पक्षकारों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि उक्त भूमि सुधार की श्रेणी में आता है। अपीलांट ने वादग्रस्त भूमि को विक्रय न करने में भी अपनी सहमति व्यक्त की है। इसलिए उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में अपील अपीलांट स्वीकार योग्य बनती है व अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य बनता है।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.04.2023 अपास्त किया जाकर अपीलांट को नलकूप व उस पर विद्युत कनेक्शन स्थापित करने की हद तक विचारण न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 10.01.2023 अपास्त की जाती है। शेष आदेश यथावत रहेगा। विचारण न्यायालय ने विचाधीन वाद में अधिकारों की घोषणा एवं विभाजन पर इस आदेश का किस प्रकार का प्रभाव नहीं होगा तथा खाता विभाजन में

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रश्नगत भूमि यदि अन्य सहकाश्तकार के हिस्सा में आती है तो अपीलांट नलकूप व विद्युत कनेक्शन अपने खर्चे पर हटाएगा। निर्णय की प्रतिलिपि अधिनस्थ न्यायालय को भिजवाई जाए। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 4.9.23 मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4/9/23

(करतार सिंह पुनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

Scanned with OKEN Scanner